झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक– 25.10.2021

संख्या :–8/नीति–03/2014 का॰ 6601 /'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल *झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010* में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**
   (*i*) यह नियमावली "झारखण्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" कहलाएगी।
   (*ii*) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (*iii*) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–7(3) में निम्नांकित प्रावधान है :–

*"सहायक ग्रेड के नियमित पदों का 75 प्रतिशत पद समय–समय पर आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी–भर्त्ती से भरे जायेंगे।*

*सहायक ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी।*

*15 प्रतिशत नियमित पदों को वैसे उच्चवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जाएगा, जिनके नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो।*

*शेष 10 प्रतिशत नियमित पदों को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक तथा आशुलिपिक (दोनों पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकनेवाले स्नातक योग्यताधारी होंगे) के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा।"*

को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सन्दर्भ में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

*"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों का 75 प्रतिशत पद समय–समय पर आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी–भर्त्ती से भरे जायेंगे।*

***सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।***

***उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।***

***परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।***

*15 प्रतिशत नियमित पदों को वैसे उच्चवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जाएगा, जिनके नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो।*

*शेष 10 प्रतिशत नियमित पदों को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक तथा आशुलिपिक (दोनों पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकनेवाले स्नातक योग्यताधारी होंगे) के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा।*

***परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।"***

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–8/नीति–03/2014 का॰ 6601 /राँची, दिनांक– 25.10.2021

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–8/नीति–03/2014 का॰ 6601 /राँची, दिनांक– 25.10.2021

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।